प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा

सेवा में,

प्रबन्धक,
आगरा वनस्थली प्राथमिक विद्यालय
झरना नाला शाहदरा
आगरा

पंत्राक–मान्यता प्रा0/ 9470-71 (68)/2000–01 दिनाक 25.9.2000

विषय– प्राथमिक विद्यालय को नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में शासनादेश संख्या/1873/15–6–98 एस(7)/89 दिनाक 10 सितम्बर 98 के परिपेक्ष्य में मान्यता समिति के प्रस्ताव संख्या 04 दिनाक 25-9-2000 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर आपके विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय के रूप में कक्षा 1से5 तक की नवीन अस्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है ।

1– उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद के पंत्राक/मान्यता/20813–889/89–90 दिनाक 21 मार्च 80 के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में मान्यता पत्र निर्गत की तिथि के बाद पडने वाली 1 जुलाई से प्रभावी होगी ।

2– अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को दी गयी अस्थायी मान्यता भी स्थायी प्रकृति की होगी तथा इस निम्मित प्रतिबर्ष नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नही है ।

3– अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों जिन्हे अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है,को 5 बर्ष में स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना अनिवार्य होगा ।

4– अस्थायी मान्यता के दौरान जांच करने पर यदि किसी शर्तों में कोई त्रुटि/कमी पायी जाती है अथवा नियम/शर्तों का पालन नही किया जाता है,तो प्रश्नगत विद्यालय की अस्थायी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

5– विभागीय नियमों,निर्देशो का पालन किया जाय तथा राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढाई जायें ।

6– विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को विद्यालय के निरीक्षण,अभिलेखों के परीक्षण में आपेक्षित सहयोग दिया जाय ।

7– विभागीय नियमों/आदेशों की अवहेलना करने पर या किन्ही तथ्यों को छिपाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है ।

भवदीय
25.9.2k

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा

पृ0सं0–मान्यता/प्रा0/ /2000–01 तद दिनाक

प्रतिलिपि सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा ।

सेवा में,

प्रबंधक,
~~आगरा वनस्थली विद्यालय जू0हा0स्कूल,~~
~~आगरा-फिरोजाबाद रोड, झरना नाला, आगरा ।~~

पत्रांकःशि0स0/ 906-09 /2002-2003 दिनांकः 1-5-2002

विषयः अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 646/15-6-97-18(एम)/89 दिनांकः 13 अगस्त, 1997 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांकः 19-04-2002 में लिये गये निर्णय ... आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांकःमान्यता/20813-889/89-90 दिनांकः 21मार्च, 1990 के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में मान्यता पत्र निर्गत करने की तिथि के बाद पड़ने वाली एक जुलाई से प्रभावी होगी ।
2- प्रबंधाधिकरण को विद्यालय के सुचारु संचालन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ।
3- विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा ।
4- बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन संस्थाधिकारियों को करना होगा ।
5- विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, मँहगाई भत्ता दिया जायेगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्राप्त हो रहे होंगे । वेतन का भुगतान चैक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा ।
6- विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा ।
7- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रुप में पढाई जायेगी । सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा ।
8- विभागीय नियमों/आदेशों की अवहेलना करने पर तथा किसी तथ्यों को छुपाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
9- यदि विद्यालय विभाग द्वारा निर्धारित मान्यता की समस्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो मान्यता का प्रत्याहरण का अधिकार विभाग एवं सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा ।
10-सभी शिक्षक प्रशिक्षित रखने होंगे । अवहेलना पर विधिक कार्यवाही होगी ।
11-उपरोक्त प्रतिबन्धों को मानना बाध्यकारी होगा ।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार एवं मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार विद्यालय में निम्न विवरण के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजित माने जायेंगे ।

1. प्रधानाध्यापक	एक
2. सहायक अध्यापक	चार
3. लिपिक	एक
4. चतुर्थ श्रेणी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/काफ्ट/विज्ञान अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे ।

भवदीय,
Dubey 20/4/02

डा0(अरुण कुमार दुवे)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा ।

पृष्ठांकन संख्याःशि0स0/ /2002-2003 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1-सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
3-जिला समाज कल्याण/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग अधिकारी, आगरा ।
4-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

डा0(अरुण कुमार दुवे)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा ।